पीठासीन अधिकारी : श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आरएएस

मुकदमा नं0 3/22/18

निर्णय दिनांक : 14.06.2018

उनवान

1. इन्सती पत्नी स्व0 भीमसिंह,
2. मानसिंह पुत्र भीमसिंह,
3. दयाराम पुत्र भीमसिंह,
4. सुनील पुत्र भीमसिंह,
5. महावीर पुत्र भीमसिंह,
6. नरेश पुत्र भीमसिंह,
7. सावत्री पुत्री भीमसिंह,
8. धोली पुत्री भीमसिंह,
9. बीना पुत्री भीमसिंह जाति मेघवाल निवासियान ग्राम मालपुर हाल निवासी अकबरपुर मेव तहसील नगर जिला भरतपुर।

...............................प्राथीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.......................अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है
कि हाल खसरा नम्बर 1472 रकबा 0.44, 1467 रकबा 0.30, 1408 रकबा 0.39 हैक्ट0 वाके ग्राम
मालपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी में प्रार्थीगण के पति व पिता स्व0 भीमा
पुत्र फूलु जाति चमार के नाम खातेदार दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियान
की गलती से प्रार्थीगण के दादा का नाम फूल के स्थान पर कालु दर्ज कर दिया जबकि
प्रार्थीगण के पिता व दादा का नाम जमाबन्दी सम्वत 2039 में भीमा पुत्र फुलु चमार सही दर्ज है।
लेकिन सैटलमेन्ट सम्वत 2058 में गलती से प्रार्थीगण के दादा का नाम फूलु के स्थान पर कालु
दर्ज हो गया। जो गलत प्रकार से दर्ज किया गया। हमारे पिता भीमा का स्वर्गवास हो गया।
जिसके वारिसान हम प्रार्थीगण है। अतः गलत इन्द्रात की दुरूस्ती की जावें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में हमारे पिता व दादा का
नाम भीमा पुत्र कालु के स्थान पर भीमसिंह पुत्र फुलु उर्फ फूलचन्द दर्ज किया जावें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर में दिनांक 14.
06.2018 को पेश हुई। ग्राम पंचायत मालपुर कैम्प कोर्ट / शिविर में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

रामगढ (अलवर)

विवादित आराजी है और विवादित आराजी के नाम से संबोधित की
जा रही है।

2- यह है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के पति व पिता स्वर्गीय
भीमा पुत्र फुलु जाति चमार के नाम खातेदार दर्ज है लेकिन राजस्व

गई जिसका विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मालपुर में ख0 नं0 1067 रकबा 0.30, 1408
रकबा 0.39, 1472 रकबा 0.44 हैक्ट0 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खाता सं0 243 में भीवा पुत्र
कालू मेघवाल सा0 देह खातेदार राहिन अलवर सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 अलवर मु. वि. कृ.
दर्ज रिकार्ड है। मिसल सम्वत 2058 में भी उक्त आराजीयात भीवा पुत्र कालू चमार सा0 देह
खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार सम्वत 2058 के हाल खसरा नम्बर 1067
रकबा 0.30 साबिक नम्बर 854 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, हाल ख0 नं0 1408 रकबा 0.39 के
साबिक ख0 नं0 1118 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, हाल ख0 नं0 1472 रकबा 0.44 के साबिक ख0
नं0 1167 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत 2039 में ख0 नं0 854 रकबा 1 बीघा 4
बिस्वा, 1118 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1167 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भीवा पुत्र फूलू चमार सा0
देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक संलग्न जमाबन्दी की नकल के अनुसार वर्तमान
रिकार्ड में भी भीवां पुत्र फूलू किया जाना उचित है। तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार
कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में भीमसिंह व फूलचन्द नाम है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया
गया। प्रार्थीगण आधारकार्ड व मृत्यु प्रमाण जैसे दस्तावेजो के आधार पर नाम दुरूस्त करना
चाहता है। जो दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र 136
एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि हाल
खसरा नम्बर 1472 रकबा 0.44, 1467 रकबा 0.30, 1408 रकबा 0.39 हैक्ट0 वाके ग्राम मालपुर
तहसील रामगढ जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में हमारे पिता व दादा का नाम भीवा पुत्र कालु
के स्थान पर भीमसिंह पुत्र फुलु उर्फ फूलचन्द ताहाल जमाबन्दी आदि में दुरूस्त किया जावें।
तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से
कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत मालपुर मे
सुनाया गया।

दि. 27.6.2018.

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

नोट:- प्रा० पत्र प्रार्थी. अन्तर्गत धारा LRA 136, 151 जा. फौ. स्वीकार कर आदेश में अंकित ख0न0-1467 रकबा 0.30 के स्थान पर 1067 रकबा 0.30 है. पढा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

विवादित आराजी है और विवादित आराजी के नाम से संबंध
जा रही है।

2- यह है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के पति व पिता
... जाति चमार के नाम खातेदार दर्ज है लेकिन